न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/36

1. जमना लाल पुत्र बिशना आयु 62 वर्ष जाति बैरवा निवासी ग्राम सुवानिया तहसील नैनवा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   1/1. प्रहलाद पुत्र बिशना आयु 67 वर्ष जाति बैरवा निवासी ग्राम सुवानियां तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 22.09.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सुवानिया तहसील नैनवा में वादी को दिनांक 28.07.1982 को आवंटन समिति द्वारा नियमानुसार खसरा नम्बर 138 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी जिस पर वादी को कब्जा दिया गया था । इंतकाल संख्या 91 दिनांक 30.05.1986 को उक्त भूमि पर वादी को गैर खातेदारी का इंतकाल भी खोला गया था । वादी उक्त भूमि का खातेदार बन चुका है, परन्तु वादी को आज दिनांक तक उक्त आराजी की खातेदारी नहीं दी गई है । वादी के नाम गैरखातेदारी के खोले गये इंतकाल का राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम का इन्द्राज किया जावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया

जावे तथा उक्त भूमि को राजस्व नक्शे में लाल स्याही से तरमीम किया जावे । राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 01 की ओर से नायब तहसीलदार नैनवा ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट सुवानिया में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 04.10.2021 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.10.2021 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में पत्रावली हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट में नियत चल रही थी जिसमें आगामी पेशी दिनांक 24.06.2021 नियत थी परन्तु पत्रावली में पेशी दिनांक 04.10. 2021 नियत करके उसी दिन पत्रावली को प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कोर्ट कैम्प में रखते हुए निर्णित कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट द्वारा दिनांक 18.01.2022 को जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि उक्त प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 04.10.2021 को ही निर्णय पारित कर दिया । जानकारी प्राप्त होते ही दिनांक 18.01.2022 को ही नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया जिसकी दिनांक 21.01.2022 को नकल प्राप्त हुई । नकल प्राप्त होते ही यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः नकल प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में पत्रावली हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट में नियत चल रही थी जिसमें आगामी पेशी दिनांक 24.06.2021 नियत थी परन्तु पत्रावली में पेशी दिनांक 04.10.2021 नियत करके उसी दिन पत्रावली को प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कोर्ट कैम्प में रखते हुए निर्णित कर दिया । परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट सुवानिया में रखते हुए निर्णित किया है। अपीलान्ट को नोटिस/सम्मन तामील करवाये हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2021 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में हक घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट सुवानिया में रखते हुए वाद वादी खारिज कर दिया । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार परीक्षण न्यायालय में पत्रावली हल्का पटवारी लुवानिया से मौका रिपोर्ट प्राप्त हेतु लम्बित थी और आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.06.2021 मौका रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु नियत की गई । दिनांक 24.06.2021 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.10.2021 नियत की गई और उसी दिन बिना हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर वाद वादी खारिज कर दिया । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से साबित है कि प्रस्तुत प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकी कायम की गई थी, दिनांक 15.03.2017 को तनकियॉ कायम की गई । साक्ष्य वादी बन्द हो चुकी । आदेशिका दिनांक 04.10.2021 से स्पष्ट नहीं है कि वादी कैम्प–कोर्ट में उपस्थित हुए हों। अतः वादी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए । परीक्षण न्यायालय ने तनकियॉ विरचित तो की हैं, परन्तु निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय Speaking नहीं है । इस दृष्टि से परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.10.2021 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 04.11.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा